

परियोजना से 10 किमी० की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्यजीव बिहार न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि० द्वारा मथुरा-सादाबाद मार्ग कि०मी० 36.590 की बायीं पटरी के खसरा संख्या-161 ग्राम अतुरा तहसील सादाबाद जिला हाथरस में प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण परियोजना से 10 कि०मी० की परिधि में:-

1. निर्माण कार्य में राष्ट्रीय उद्यान, कोई वन्यजीव अभ्यारण, जैव मण्डल, रिजर्व वाघ, रिजर्व हाथी कोरीडोर सम्मिलित नहीं है।
2. निर्माण क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिगत की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ नहीं पायी जाती हैं।
3. निर्माण क्षेत्र में सुरक्षित पुरातत्वीय/पारस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र स्थित नहीं हैं।


RAKESH GUPTA
Dy. General Manager-Retail
and Duty Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprise)


(मुकेश शर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।
दि 20/6/18